निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 ज्येष्ठ 1936 (श0)

(सं0 पटना 466) पटना, वृहस्पतिवार, 29 मई 2014

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचनाएं

19 मई 2014

सं0 आई0सी0डी0एस0/10010/1–2012–2280––भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आई0सी0डी0एस0 निदेशालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग में भर्त्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

बिहार समेकित बाल विकास लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2014

1- **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**।–

1. यह नियमावली बिहार समेकित बाल विकास लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।
2. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
3. यह तुरंत प्रवृत होगी।

2- **परिभाषाएँ**।– इस नियमावली में, जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(i) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है बिहार समेकित बाल विकास लिपिकीय संवर्ग।

(ii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग।

(iii) ''विभाग'' से अभिप्रेत है समाज कल्याण विभाग।

(iv) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है संबंधित जिला का समाहर्त्ता।

(v) ''नियत तिथि'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि।

(vi) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से संवर्ग में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल है।

(vii) ''अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति'' से अभिप्रेत है सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

3- **संवर्ग की संरचना– (1) लिपिकीय संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नवत् होगीः–**

क्र0 सं0	कोटि का नाम	स्तर
1	2	3
(क)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि
(ख)	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
(ग)	लेखापाल–सह–भण्डारपाल	द्वितीय प्रोन्नति स्तर
(घ)	कार्यालय अधीक्षक	तृतीय प्रोन्नति स्तर

उक्त पदों के लिए वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

4- **संवर्ग बल।**– संवर्ग बल ऐसा होगा जो समाज कल्याण विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

5- **भर्त्ती।**– 1. ''निम्नवर्गीय लिपिक'' का 85% पद सीधी भर्त्ती से भरे जायेंगे और 15% पद निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अहर्त्ता रखने वाले सुपात्र समूह ''घ'' के कर्मियों से भरा जायेगा। सीधी भत्ती के 85% पदों में से 10% अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा। किन्तु वर्ष में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए कम अभ्यर्थी के चलते शेष रिक्तियों की दशा में, यह सीधी नियुक्ति के लिए मेधा सूची से भरी जायेगी।

2. सभी भर्त्ती आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जायेगी।
3. नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देगा।
4. आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेधा क्रम में अभ्यर्थियों की नाम की अनुशंसा करेगा। मेधा सूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से 1 वर्ष तक रहेगी।
5. सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षो के लिए करेगा।

6- **अर्हता।**– 1. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन टंकण के ज्ञान के साथ इण्टरमीडियट (10+2) उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होगी।

2. भर्त्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।

7- **आरक्षण।**– भर्त्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8- **प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती।**– 1. नियुक्ति प्राधिकार निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हत्ता रखनेवाले समूह ''घ'' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।

2. प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

9- **परिवीक्षा।**– प्रत्येक भर्त्ती परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो तो ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

10- **विभागीय परीक्षा।**– (i) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जाएगी।

(ii) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

पत्र–1

सेवा नियमावली– बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि, टिप्पणी एवं प्रारूपण।

पत्र–2

वित्तीय नियमावली– कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस ऐंड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा–भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली।

11- **सम्पुष्टि।**– कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।

12- **वरीयता।**– संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अवधारित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी।
किन्तु इस नियमावली के आरंभ होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी :

परन्तु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्ति से कनीय होंगे जो संबंधित भर्त्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैः

परन्तु और कि किसी भर्त्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्त्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

13-**प्रोन्नति**।– 1. मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर, अवधारित कालावधि के पूरा होने पर और विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

2. विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित को मिलाकर गठित की जायेगी–

(क) जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
(ख) अपर समाहर्त्ता	–	सदस्य
(ग) अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी	–	सदस्य
(घ) स्थापना उप समाहर्त्ता	–	सदस्य
(ड़) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव

14-**संवर्ग का स्तर**।– यह संवर्ग जिलास्तरीय होगा। किन्तु अचानक जरूरत होने या किसी कार्यालय में लिपिक के अभाव के चलते अत्यावश्यकता की दशा में संवर्ग के किसी कर्मचारी को दूसरे जिला में, सेवा में उसके प्रवेश के आधार पर उसकी वरीयता को अक्षुण्ण रखते हुए उसकी सहमति से, स्थानान्तरित करने की शक्ति निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय को होगा।

15-**अवशिष्ट मामले**।– ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं है, संवर्गो के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होगा।

16-**कठिनाईयों का निराकरण**।– समाज कल्याण विभाग समय–समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

17-**निर्वचन**।– जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला समाज कल्याण विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

18-**निरसन एवं व्यावृति**।– (1) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व से निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

The 19th May 2014

No. ICDS/10010/1-2012-2280—In exercise of the powers conferred under proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and service conditions of the clerical cadre of the regional Offices of ICDS Directorate under the Department Of Social Welfare.

Bihar Integrated Child Development Clerical Cadre (recruitment and conditions of service) Rules, 2014

1. **Short title, extent and commencement**. 1) These Rules may be called as the Bihar Integrated Child Development clerical cadre (recruitment and conditions of service) Rules, 2014.
   2) It shall extend to whole of the State of Bihar.
   3) It shall come into force at once.
2. **Definitions**.- In these Rules, unless otherwise requires in the context:-

(i.) "Cadre" means the Bihar Integrated Child Development Clerical Cadre

(ii.) "Commission" means the Bihar Staff Selection Commission.

(iii.) "Department" means Social Welfare Department.

(iv.) "Appointing Authority" means the Collector of the concerned district.

(v.) "Fixed date" means the date of coming into force of these Rules.

(vi.) "Member" means any person appointed in the cadres and includes all the persons appointed in the cadres before commencement of these Rules.

(vii.) "Appointment on compassionate ground" means appointment of any one of the dependents of the government servant who died during the service period, as per the relevant circulars/instructions.

3. **Cadre structure** – The cadre structure of the clerical cadre shall be as follows :-

Sl. No.	**Name of category**	**Level**
1	**2**	**3**
(a)	Lower Division Clerk	Basic category
(b)	Upper Division Clerk	First promotion Level
(c)	Accountant -Cum -Storekeeper	Second promotion Level
(d)	Office Superintendent	Third promotion Level

Pay scale of the said post will be the same as may be determined by the Government.

4. **Cadre-strength.** – The cadre strength shall be such as may be determined by the Social Welfare Department from time to time.

5. **Recruitment.** – 1) 85% posts of "Lower Division Clerk" shall be filled up by direct recruitment and 15 % posts shall be filled up from the Group "D" employees having qualification to be appointed to the post of Lower Division Clerk. 10% posts out of 85% posts for direct recruitment, shall be reserved for appointment on compassionate ground, but in case of vacancy remaining due to lesser candidates for compassionate appointment in the year, it can be filled up from the merit list for direct recruitment.

2) All recruitments shall be made in the category of Lower Division Clerk on the recommendation of the Commission.

3) The appointing authority shall calculate the vacancies on the basis of 1st April every year and shall send the requisition to the commission by the 30th April.

4) The commission shall advertise the vacancies and after selection of successful candidates on the basis of Competitive Examination shall recommend the names of the candidates in order of merit to the concerned Appointing Authorities. The validity of the merit list shall be one year from the date of receipt of the recommendation.

5) After the due verification, the appointing authority shall appoint the candidate on probation for the period of 2 years.

6. Qualification:- 1) The minimum educational qualification shall be intermediate (10+2) or equivalent, with knowledge of computer operation and computer typing.

2) Minimum age for recruitment shall be eighteen years and maximum age shall be the same as may be determined by the State Government (General Administration Department) from time to time.

7. **Reservation**.- Compliance of reservation/roster in recruitment and promotion, as notified by the State Government from time to time, shall be necessary.

8. **Recruitment through promotion**.- 1) The appointing authority shall prepare the seniority list of Group "D" staff having qualifications at appointment to the post of Lower Division Clerk.

2) The promotion shall be given according to the seniority on recommendation of the Departmental Promotion Committee.

9. **Probation**.- Every appointment shall be on probation for two years and in special circumstances it may be extended for further one year by the appointing authority, if the probation period is not found to be satisfactory then such extension shall be made only if the appointment authority is of the opinion that the probationer has a chance to improve. If the service on probation is not found satisfactory even after the expiry of extended period the concerned person will be terminated from the service.

10. **Departmental examination**.- 1) Departmental Examination shall be conducted by the Board of Revenue.

    2) There shall be two papers in the Departmental Examination and it will be essential to obtain 40% marks for passing in each subject.

    Paper.-1:
    Service Rules:- Bihar Service Code, Pension Rules, laws of Seniority and Promotion, Noting and Drafting.

    Paper.-2:
    Financial Rules: - Treasury Code, Financial Rules, Practice and Procedure, Board Miscellaneous Rules, GPF Rules, TA Rules, Insurance Rules.

11. **Confirmation. –** Any person on probation may be confirmed after completion of satisfactory probation period and passing the Departmental Examination and computer ability test examination.

12. **Seniority**.- Inter-se seniority of the member of the cadre shall be according to their merit position determined by the Commission but the inter-se seniority decided before the commencement of these Rules shall remain unchanged:

    Provided that the person appointed on the basis of compassionate ground shall be junior to such persons who have been appointed on the basis of Competitive Examination in the concerned recruitment year:

    Provided further that in any recruitment year the person appointed by promotion shall be senior to the person appointed by Competitive Examination in the concerned recruitment year.

13. **Promotion. – (1)** Promotion from basic category to higher category may be given after completion of **KALWADHI** as fixed, from time to time, by the General Administration Department and on the recommendation of Departmental Promotion Committee.

    (2) The Departmental Promotion Committee shall be constituted as under-

(a) District Magistrate	-	Chairman
(b) Additional Collector	-	Member
(c) An officer belonging to SC/ST Determine by the Chairman.	-	Member
(d) Deputy Collector (Establishment).	-	Member
(e) District Programme officer.	-	Member Secretary

14. **Level of cadre**- This cadre shall be district level but in case of exigencies arising due to sudden requirement or paucity of clerk in any office, the Director, Directorate Integrated Child Development Services shall have power to transfer any employee of the cadre to another district maintaining his seniority on the basis of his entry in service with their consent.

15. **Residuary matters.-** Those matters which are not specifically covered by these Rules, the members of this service shall be governed by the Rules, Regulations or

orders applicable to the appropriate level of the officers/employees of the State Government.

16. **Removal of difficulties.-** If any difficulties arises in giving effect to the provisions of the rules, the Social Welfare Department may by general or special order with reason to be recorded in writing make such provisions not inconsistent with the provisions of the said rules as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

17. **Interpretation.-** If there is any doubt arises in the interpretation of any provision of these rules, the decision shall be made by Department of Social Welfare and its decision shall be final.

18. **Repeal & Savings.-** (1) All resolutions, orders, circulars hereinbefore related to this cadre are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under such resolutions, instructions shall be deemed to be done or taken in under these Rules as if these Rules came into force on the day on which such work was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
Sd./Illegible,
Special Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 466-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in